



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

**Environmental Planning & Coordination Organization**  
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony  
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : [mpseiaa@gmail.com](mailto:mpseiaa@gmail.com)

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 1478 /SEIAA/22

Date: 26/8/22

प्रति,

श्री आनंद ताम्रकार (प्रोपराइटर)

मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेस,

निवासी - जी 7, 8 दीनदयाल परिसर,

ई-2, अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/283506/2022 - प्रकरण क्रमांक 7904/2020 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनन्देश्वर एग्रो फूड्स प्रा. लि. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला तल दरवाजा जिला टीकमगढ, (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, रकबा 12.0 हेक्टेयर., उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 472/2, ग्राम बोरबंद-1, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) को पूर्व जारी ToR, हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (प्रोपराइटर), मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेस निवासी - जी 7, 8 दीनदयाल परिसर ई-2, अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 742वी बैठक दिनांक 18.08.2022 में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

SEIAA की 705वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में Close किये गये रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit/Re-open कर प्राधिकरण की 723 वी बैठक दिनांक 13.05.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व में जारी ToR के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-8 में रेत खदान, रकबा रकबा 12.0 हेक्टेयर., उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 472/2, ग्राम बोरबंद-1, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनन्देश्वर एग्रो फूड्स प्रा. लि. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला तल दरवाजा जिला टीकमगढ, (म.प्र.) को जारी ToR के हस्तांतरण का आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ToR हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. जिला खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर के पत्र क्र. क. 1712 दिनांक 05.08.2022 द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनन्देश्वर एग्रो फूड्स प्रा. लि. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला तल दरवाजा जिला टीकमगढ, (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा

इन्टरप्राइजेस निवासी - जी 7, 8 दीनदयाल परिसर ई-2, अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.) के नाम पर ToR हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

- II. श्री आनंद ताम्रकार (प्रोपराइटर) मेसर्स मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेस श्री आनंद ताम्रकार (प्रोपराइटर)निवासी - जी 7, 8 दीनदयाल परिसर ई-2, अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी ToR में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. ToR पत्र क्र. 859/PS-MS/MPPCB/SEAC/467/2020 दिनांक 09.12.2020 की प्रति।
- IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा के पत्र क्र. 348 दिनांक 08.02.2022 अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।
- V. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण पत्र क्र. 1296 दिनांक 26.05.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।
- VI. जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर द्वारा SEIAA की 723वीं बैठक दिनांक 13.05.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 1.1 से 1.3 अनुसार चाही गई प्रमाणित निम्नानुसार जानकारी पत्र क्र. 1289 दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।
  - प्रस्तावित खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (प्राधिकरण द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEIAA की 720वीं बैठक दिनांक 05.05.2022 एवं अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEIAA की 739वीं बैठक दिनांक 29.07.2022) में सम्मिलित है।
  - प्रस्तावित खदान में वार्षिक उत्पादन क्षमता निविदा में जारी स्वीकृत मात्रा से अधिक नहीं है।
  - पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा ToR की शर्तों का परिपालन किया गया है एवं ToR की शर्तों से संबंधित कोई न्यायालयीन वाद-विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है, परंतु रायल्टी से संबंधित मुद्दा न्यायालय में लंबित है।
- VII. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त ToR एवं पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ToR में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। SEAC द्वारा जारी ToR पत्र क्र. ToR पत्र क्र. 859/PS-MS/MPPCB/SEAC/467/2020 दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से मेसर्स अनन्देश्वर एग्रो फूड्स प्रा. लि. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला तल दरवाजा जिला टीकमगढ, (म.प्र.) के नाम पर रेत खदान, रकबा 12.0 हेक्टेयर., उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 472/2, ग्राम बोरबंद-1, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) के ToR का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (प्रोपराइटर), मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेस निवासी - जी 7, 8 दीनदयाल परिसर ई-2, अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्रकरण मे पूर्व मे जारी ToR दिनांक 09.12.2020 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

क्र. 1479 /SEIAA / 2022 भोपाल

प्रतिलिपि :-

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव  
दिनांक 26/8/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूडस प्रा.लि. श्री सुनील गुप्ता, निवासी एम.टी.सी. बी-8, बी-9, पनकी, औद्योगिक क्षेत्र, साईट नं. 3, कानपुर (यू.पी.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी